<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
नोरतमल बाबेल पुत्र बिरधीचन्द बाबेल मरूधर मार्केट मेवाड़ी गेट के अन्दर ब्यावर जिला अजमेर
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट
प्रथम सूचना अपील संख्या :– 10/2022
जीसीएमएस नं. :– 2022/12
(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>18.02.2022</td><td>–: निर्णय :–

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 19.10.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट ने जरिये पत्रांक/भू.अ./2022/164 दिनांक 24.01.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना की नकले तैयार कर उनके कार्यालय के जरिये पत्रांक/भू.अ./2022/2456 दिनांक 24.12.2021 द्वारा प्रार्थी को 280/– रूपये के शुल्क टिकट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। शुल्क टिकट प्राप्त होती ही नकले भिजवा दी जायेगी। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

5. निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

नमित मेहता
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</td><td></td></tr>
</table>